



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 928) पटना बुधवार 5 अगस्त 2026

सं० 14/AMRUT-01-25/2026—3004 न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प
31 जुलाई 2026

विषय:— केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 53,71,47,500/—(तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रुपये 26,20,00,00,000/—(छब्बीस सौ बीस करोड़ मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

2. जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार वित्त पोषित होता रहेगा।

3. योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी-एस0एच0पी0एस0सी0) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्नीकल कमिटी-एस0एल0टी0सी0) के गठन किये जाने का प्रावधान है।

4. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/पार्क/जल स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु रु० 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ ईक्यासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु० मात्र) के अनुमानित मुख्य पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया था। पुनः 17 परियोजनाओं को निरस्त करने, सीवरेज से संबंधित 02 परियोजनाओं को सम्मिलित कर 01 परियोजना बनाना एवं 16 नई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर एक्शन प्लान का प्रस्ताव राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस0एच0पी0एस0सी0) के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत एस0एच0पी0एस0सी0 द्वारा दिनांक-11.09.2025 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत एपेक्स समिति द्वारा दिनांक-08.12.2025 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार अमृत 2.0 अंतर्गत कुल स्वीकृत 62 परियोजनाओं हेतु कुल राशि रु० 8167.78 करोड़ है, जिसमें केन्द्रांश रु० 2604.86 करोड़ एवं राज्यांश (राज्यांश+निकायांश) रु० 5562.92 करोड़ शामिल है।

5. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजनान्तर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना की विवरणी निम्नवत है:-

(राशि करोड़ रु०)

क्र० सं०	परियोजना का नाम एवं विवरणी	प्राक्कलित राशि	SLTC द्वारा अनुमोदित राशि
01	किशनगंज जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 3,892 गृह जल संयोजन, 14 Borewell का निर्माण (इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य सहित) एवं पूर्व के 10 Borewell का इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य, 14 Iron Removal Plant का अधिष्ठापन, 07 Pump House का निर्माण, 05 नए जलमीनार (110-1,958 KL क्षमता) का निर्माण, 100-600 मी०मी० व्यास का 720 मी० Clear Water राइजिंग मेन, 110-250 मी०मी० व्यास का 178.21 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क एवं अन्य कार्य।	रु० 53.7147500	रु० 53.7147500 केन्द्रांश-15.7034247 राज्यांश-38.0113253
कुल राशि		रु० 53.7147500	रु० 53.7147500

(तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रु०)

6. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा:-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत उक्त परियोजना का कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी बुडको होगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) को वर्ष 2026-27 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। किशनगंज नगर परिषद् की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।

परियोजना में कुल राशि 53,71,47,500/- (तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) का व्यय संभावित है।

राशि की व्यय विवरणी निम्नलिखित है:—

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	परियोजना की राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि (राशि करोड़ में)
01	2026-27	53.7147500	53.7147500
कुल राशि		53.7147500	53.7147500

7. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 53,71,47,500 /— (तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

8. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक-29.07.2026 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 928-571+200-डी०टी०पी०
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>